

हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग
ब्लॉक नम्बर-38, एस0डी0ए0 कॉम्प्लैक्स, कसुम्पटी, शिमला-171009
वेबसाईट: <http://ceohimachal.nic.in>

संख्या:5-6/2019-ईएलएन

दिनांक:

23 जून, 2020

हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग में निम्न जिला संवर्गों व मुख्यालय संवर्ग के अन्तर्गत दैनिक मजदूरी पर चपड़ासी व चौकीदार, वर्ग-IV (अराजपत्रित) के पदों की भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से सादे कागज़ पर आवेदन-पत्र आमन्त्रित किए जाते हैं:-

| पद का नाम | संवर्ग का नाम, जिससे पद सम्बन्धित है | पदों की संख्या | श्रेणी जिसके लिए पद चिन्हित है |
|---|--------------------------------------|----------------|--|
| चपड़ासी, वर्ग-IV (अराजपत्रित) दैनिक मजदूरी पर मुबलिंग 275/- रूपए प्रतिदिन | चम्बा जिला संवर्ग | 01 | अनारक्षित(UR)=01 |
| | मण्डी जिला संवर्ग | 01 | अनुसूचित जाति(SC)=01 |
| | लाहौल-स्पिति जिला संवर्ग | 02 | अनारक्षित(UR)=01 अनुसूचित जाति(SC)=01 |
| | किन्नौर जिला संवर्ग | 01 | ईडब्ल्यूएस(EWS)=01 |
| | सिरमौर जिला संवर्ग | 01 | ईडब्ल्यूएस(EWS)=01 |
| योग=06 | | | |
| चौकीदार, वर्ग-IV (अराजपत्रित) दैनिक मजदूरी पर मुबलिंग 275/- रूपए प्रतिदिन | बिलासपुर जिला संवर्ग | 01 | अनारक्षित(UR)=01 |
| | सोलन जिला संवर्ग | 01 | अनारक्षित(UR)=01 |
| योग=02 | | | |

महत्वपूर्ण निर्देश:-

- आवेदक को आवेदन-पत्र के सबसे ऊपरी भाग पर उस जिला संवर्ग/मुख्यालय संवर्ग का नाम लिखना अनिवार्य होगा, जिसके अन्तर्गत वह चपड़ासी या चौकीदार के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने जा रहा है।
- आवेदन पत्र, सादे कागज़ पर, आवश्यक योग्यता(ओं) और अनुभव, यदि कोई हो, आदि के सम्बन्ध में सभी उम्मीदवारों की योग्यता निर्धारित करने की तारीख अर्थात् **31-07-2020** तक जमा करने के लिए निर्धारित समाप्ति तिथि होगी।
- निर्वाचन विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का जिला संवर्ग व मुख्यालय संवर्ग है। परिणामतः इच्छुक अभ्यर्थियों को किसी एक जिला संवर्ग या मुख्यालय संवर्ग की रिक्ति के लिए ही आवेदन करना होगा। अन्तिम चयन एवं नियुक्ति के बाद अभ्यर्थी को वही जिला संवर्ग/मुख्यालय संवर्ग आबंटित किया जाएगा, जो उसने अपने आवेदन-पत्र में भरा होगा तथा एक बार अलॉट किया गया जिला संवर्ग/मुख्यालय संवर्ग अन्तिम एवं अपरिवर्तनीय रहेगा।
- जिला संवर्ग सम्बन्धी नीति के अधीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का स्थानान्तरण एक जिला संवर्ग से दूसरे जिला संवर्ग या मुख्यालय संवर्ग से किसी जिला संवर्ग के लिए अनुज्ञात नहीं होगा।
- उम्मीदवारों को आवेदन के लिए सावधानी से निर्देशों को पढ़ना होगा, जो उपरोक्त पद के लिए आवेदन करने से पहले निर्वाचन विभाग की वेबसाईट <http://ceohimachal.nic.in> पर उपलब्ध है।
- अभ्यर्थियों को किसी भी बाद के चरण में अस्वीकृति से बचने के लिए विज्ञापन में वर्णित श्रेणी, आयु और आवश्यक योग्यता इत्यादि के सम्बन्ध में उनकी पात्रता सुनिश्चित करनी होगी।
- आरक्षण का लाभ केवल उन उम्मीदवारों के लिए स्वीकार्य होगा, जो हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी हैं।
- उम्मीदवार हिमाचल प्रदेश में रोजगार कार्यालय के साथ अवश्य पंजीकृत होना चाहिए।

9 सेवारत उम्मीदवार एन0ओ0सी0 जारी करने के लिए अपने विभागों के प्रमुख/नियोक्ता को जानकारी के साथ आवेदन कर सकते हैं। सेवारत उम्मीदवार का कोई मूल्यांकन नहीं किया जाएगा जब तक वह सम्बन्धित नियोक्ता से एन0ओ0सी0 नहीं लाता है।

10 विवाद, यदि कोई हो, शिमला में न्यायालय क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।

पात्रता शर्तें:—

| | |
|-----------------------------|--|
| आयु | 18 और 45 साल के बीच स्पष्टीकरण:— (क) उम्मीदवार की आयु की गणना 01-01-2020 को मानी जाएगी। (ख) ऊपरी आयु सीमा में पाँच वर्ष की छूट केवल हिमाचली SC/ST/OBC/WFF/हिमाचल प्रदेश के विकलांगों के लिए स्वीकार्य है। हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारी एवं हिमाचल प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों के लिए आयु छूट सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के अनुसार होगी। |
| अनिवार्य योग्यताएं | किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड या संस्थान से मैट्रिक परीक्षा पास हो। |
| भर्ती के लिए पात्रता | अभ्यर्थी वर्ग-IV के पद (पदों) पर नियुक्ति के लिए तभी पात्र होगा/होगी, यदि उसने हिमाचल प्रदेश में अवस्थित किसी स्कूल/संस्थान से आठवीं या दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो; परन्तु यह शर्त हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासियों को लागू नहीं होगी। |
| वांछनीय योग्यताएं | हिमाचल प्रदेश के रीति रिवाजों, शिष्टाचार और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान असाधारण स्थितियों में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता। |

ध्यान दें:—

- चयन के लिए उम्मीदवार की पात्रता आदि के सम्बन्ध में विभाग का निर्णय अन्तिम होगा और कोई भी पत्राचार/व्यक्तिगत पूछताछ मान्य नहीं होगी।
- यह साबित करने का दायित्व कि एक उम्मीदवार ने निर्धारित तिथि से आवश्यक योग्यता प्राप्त की है, उम्मीदवार पर होगा और सबूत की अनुपस्थिति में, प्रमाण पत्र/डिग्री या प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख के अनुसार उल्लेखित तिथि/डिग्री आवश्यक योग्यता प्राप्त करने की तारीख के रूप में लिया जाएगा। मूल्यांकन के समय उचित प्रमाण पत्र तैयार करने के लिए उम्मीदवारों को कोई अतिरिक्त अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा।

आवेदन कैसे करें:—

अभ्यर्थियों को सभी दस्तावेजों के साथ सादे कागज़ पर, **मूल्यांकन प्रपत्र सहित**, आवेदन करना होगा और आवेदन-पत्र हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग, ब्लॉक नं0 38, एस0डी0ए0 कम्प्लैक्स, कसुम्पटी शिमला-171009 में **31-07-2020** तक पहुंच जाने चाहिए।

परीक्षा शुल्क:— निर्वाचन विभाग द्वारा चपड़ासी व चौकीदार के ऊपरवर्णित रिक्त पदों की पूर्ति हेतु कोई भी परीक्षा शुल्क निर्धारित नहीं किया गया है।

परीक्षा की योजना:—

हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या: पर(एपीबी)बी(15)-5/2014, दिनांक 17-04-2017 द्वारा वर्ग-IV पदों के लिए चयन तय अंकों के प्रतिशत के आधार पर किया जाएगा जो 85 अंकों से तय

किये जायेंगे। उदाहरण के लिए मैट्रिक में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को 42.5 अंक दिए जाएंगे, तत्पश्चात् निम्नलिखित पैरामीटर के आधार पर मूल्यांकन के बाद अंक दिए जायेंगे।

विभिन्न वर्ग-IV पदों के लिए 100 अंकों के लिए मूल्यांकन के मापदंड

| क्र० सं० | 100 अंकों के मापदण्डों का विवरण | अंक | प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी |
|----------|---|-----|---|
| 1 | क्वालीफाईंग परीक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिशतता की गणना 85 से की जाएगी। (उदाहरण के लिए मैट्रिक में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को 42.5 अंक दिये जाएंगे) | 85 | सम्बन्धित विश्वविद्यालय/बोर्ड |
| 2 | यदि अधिसूचित पिछड़ा क्षेत्र या पंचायत से सम्बन्धित हो। | 1 | सम्बन्धित उपमण्डलीय अधिकारी (ना०)/तहसीलदार/नायब तहसीदार |
| 3 | भूमिहीन परिवार/परिवार के एक हैक्टर से कम भूमि का प्रमाण पत्र जोकि सम्बन्धित राजस्व प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। | 2 | सम्बन्धित उपमण्डलीय अधिकारी (ना०)/तहसीलदार/नायब तहसीदार |
| 4 | गैर-रोजगार प्रमाण पत्र इस आशय के साथ कि परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी/अर्धसरकारी सेवा में कार्यरत नहीं है। | 2.5 | सम्बन्धित उपमण्डलीय अधिकारी (ना०)/तहसीलदार/नायब तहसीदार |
| 5 | 40 प्रतिशत से अधिक स्थाई/विशेष रूप से सक्षम/दिव्यांग। | 1 | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी/मेडिकल बोर्ड |
| 6 | एन०एस०एस० (कम से कम एक वर्ष) एन०सी०सी०/भारत स्काउट और गाइड में प्रमाण पत्र धारक। राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में पदक विजेता। | 1 | सम्बन्धित संस्थान के प्रमुख। राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में पदक विजेताओं का प्रमाण पत्र सम्बन्धित जिला युवा सेवाएं और खेल अधिकारी/संस्थान के प्रमुख द्वारा जारी किया गया हो। |
| 7 | बीपीएल परिवार के पास पारिवारिक वार्षिक आय (सभी स्त्रोतों से) 40000 से कम या सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित अनुसार। | 2.5 | सम्बन्धित बीडीओ (परिवार रजिस्टर में प्रमाणित प्रविष्टियों के आधार पर) |
| 8 | विधवा/तलाकशुदा/निराश्रित/एकल महिला। | 1.5 | सम्बन्धित बीडीओ (परिवार रजिस्टर में प्रमाणित प्रविष्टियों के आधार पर) |
| 9 | एकल बेटा/अनाथ। | 1 | सम्बन्धित बीडीओ (परिवार रजिस्टर में प्रमाणित प्रविष्टियों के आधार पर) |
| 10 | सरकारी/अर्धसरकारी संस्थान में पद से सम्बन्धित अधिकतम 5 वर्षों का अनुभव। (0.5 अंक प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए) | 2.5 | सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी सरकारी/अर्धसरकारी संगठन। |

नोट:— आइटम नम्बर (2) से (9) के लिए प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी हिमाचल प्रदेश सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव (कार्मिक) द्वारा जारी पत्र संख्या Per (AP-B)B(15)5/2014-loose-1, दिनांक 18-07-2017 के अनुसार है।

श्रेणी दावा:-

अभ्यर्थी द्वारा अधियाचित श्रेणी को मूल्यांकन के बाद बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

अन्य शर्तें:-

1. सभी उम्मीदवार चाहे वे सरकारी सेवा या सरकारी स्वामित्व वाले औद्योगिक या सार्वजनिक उद्यमों या अन्य समान संगठनों में या निजी रोजगार में हो को अपना आवेदन सीधे विभाग को जमा करना होगा। पहले से ही स्थाई सरकारी सेवारत व्यक्ति, चाहे स्थाई या अस्थायी क्षमता में हो, को एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा, कि उन्होंने अपने कार्यालय/विभाग के प्रमुख को लिखित रूप में सूचित किया है कि उन्होंने किसी पद के लिए आवेदन किया है। यदि किसी नियोक्ता द्वारा आवेदन करने वाले किसी उम्मीदवार को अनुमति देने के लिए मना करने हेतु कोई पत्राचार प्राप्त होता है तो उसके आवेदन को रद्द किया जाएगा।
2. आकस्मिक/अस्थायी/दैनिक रूप में कार्यरत/अनुबन्धित कर्मचारियों को सम्बन्धित नियोक्ता से एन0ओ0सी0 लाने की आवश्यकता नहीं है।
3. सरकारी सेवा (नियमित सेवा) में उम्मीदवार विभाग प्रमुख/नियोक्ता को एन0ओ0सी0 जारी करने की सूचना के साथ आवेदन कर सकते हैं। कोई भी उम्मीदवार जो नियमित सरकारी सेवा या सरकारी स्वामित्व वाली औद्योगिक सेवा में है, का मूल्यांकन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि वह सम्बन्धित नियोक्ता से एन0ओ0सी0 प्रस्तुत नहीं करते।
4. आवेदन पत्र में किसी भी तथ्यात्मक जानकारी की झूठी सूचना और दस्तावेजों का देना पात्रता में अयोग्यता होगी। यदि सेवा के दौरान किसी भी समय नोटिस पर आता है कि झूठी सूचना/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं या आवेदन में किसी भी तथ्यात्मक जानकारी का दमन हुआ है तो व्यक्ति की सेवा समाप्त कर दी जाएगी।
5. आवेदक को आवेदन पत्र में अपनी फोटो लगानी होगी।
6. इच्छुक उम्मीदवार हिमाचल प्रदेश में रोजगार कार्यालय के साथ पंजीकृत होना चाहिए।
7. पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे मूल्यांकन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सभी योग्यता शर्तों को पूरा करते हैं। निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने के अधीन मूल्यांकन के लिए उनका प्रवेश पूरी तरह से अस्थायी होगा। यदि मूल्यांकन प्रक्रिया से पहले या उसके दौरान किसी भी समय पर यह पाया जाता है कि वह पात्रता शर्तों में से किसी को पूरा नहीं करते हैं तो उनकी उम्मीदवारी विभाग द्वारा रद्द कर दी जाएगी।
8. अभ्यर्थी जो विभाग द्वारा दोषी घोषित किया गया है:-
(ए) निम्नलिखित माध्यमों से उनकी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करना, अर्थात:-
 - अवैध परितोषण की पेशकश या
 - दबाव डालना, या
 - ब्लैकमेलिंग या परीक्षा के कार्य संचालन से जुड़े किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना या धमकी देना, या

(बी) प्रतिरूपण, या

(सी) किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रतिरूपण प्राप्त करना, या

(डी) फर्जी दस्तावेजों या ऐसे दस्तावेजों को प्रस्तुत करना जिनके साथ छेड़छाड़ की गई है, या

(ई) ऐसा बयान देना जो झूठा हो, या

(एफ) मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए विभाग द्वारा नियोजित कर्मचारियों को शारीरिक नुकसान पहुंचाना, या

(जी) प्रतिबद्ध करने का प्रयास कर रहा है या मामला पूर्वगामी खण्डों में निर्दिष्ट सभी या किसी भी कार्य से विभाग को परेशान करता हो, आपराधिक अभियोजन पक्ष के लिए खुद को उत्तरदायी बनाने के अलावा, विभाग द्वारा परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित करने के लिए उत्तरदायी होगा जिसके लिए वह उम्मीदवार है और/या

(एच) तो स्थाई रूप से या निर्दिष्ट अवधि के लिए वंचित/अयोग्य किया जा सकता है:-

- विभाग द्वारा उनके तहत आयोजित किसी भी परीक्षा या चयन से।
- केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा उनके तहत किसी भी रोजगार से, और


(आई) यदि वह सरकार के अधीन सेवा में है तो उचित नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई, बशर्ते कि इन नियमों के तहत कोई दण्ड लागू नहीं किया जाएगा, सिवाय निम्नलिखित के पश्चात् :-

- उम्मीदवार को लिखित में अपना पक्ष रखने का मौका देने तथा अभ्यर्थी द्वारा दी गई अवधि के भीतर प्रस्तुत किए गये अम्यावेदन, यदि कोई हो तो उसे लेना।

मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए प्रवेश हेतु अपात्रता:-

कोई भी उम्मीदवार मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए प्रवेश हेतु पात्र नहीं होगा:-

- (ए) अगर उसे किसी भी पिछली सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।
- (बी) यदि उसे नैतिक अशांति से जुड़े किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है या किसी भी परीक्षा या चयन में भाग लेने से स्थाई रूप से वंचित/अयोग्य घोषित किया गया है।
- (सी) यदि वह किसी भी तरीके से चयन प्रक्रिया को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है।
- (डी) यदि एक पुरुष उम्मीदवार जिसके पास एक से अधिक जीवित पत्नी है और यदि महिला उम्मीदवार है, जिसने ऐसे पुरुष से शादी की है जिसकी दूसरी पत्नी है, या
- (ई) यदि वह एक अमुक्त दिवालिया है।


अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
हिमाचल प्रदेश।

....

हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग में चपड़ासी/चौकीदार के रिक्त पदों को दैनिक भोगी आधार पर भरने बारे बारे आवेदन-प्रपत्र।

जिला संवर्ग का नाम, जिसके अन्तर्गत चपड़ासी/चौकीदार के पद पर दैनिक भोगी आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन किया है

1. नाम.....

2. पिता/माता/पति का नाम).....

3. लिंग (पुरुष/महिला).....

4. जन्म तिथि.....

5. पत्राचार हेतु पता.....

.....

.....

6. स्थाई पता.....

.....

.....

7. 1-1-2020 को आयु.....

8. राष्ट्रीयता.....

9. शैक्षणिक योग्यता:


| क्र० सं० | परीक्षा का नाम | बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम | कुल अंक | प्राप्तांक | प्रतिशतता |
|----------|----------------|----------------------------|---------|------------|-----------|
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |

10. रोजगार कार्यालय पंजीकरण संख्या

11. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र {छाया प्रति}

12. श्रेणी (आरक्षित श्रेणी की दशा में जाति प्रमाण-पत्र की छाया प्रति).....

13. अनुभव {यदि कोई हो}



14. {क} क्या प्रार्थी कोर्ट से दण्डित हुआ है.....
{ख} यदि हां तो पूर्ण विवरण दें.....
15. {क} क्या प्रार्थी के विरुद्ध कोई केस न्यायालय में लम्बित है
- {ख} यदि हां तो पूर्ण विवरण दर्शाएँ.....

मैं.....सुपत्र/सपुत्री/पत्नी.....गांव.....
डाकघर.....तहसील.....जिला.....सत्यनिष्ठा से घोषणा
करता/करती हूं कि उक्त विवरण जो मेरे द्वारा दिया गया है, मेरी जानकारी के अनुसार सही व सत्य है तथा
इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है।

स्थान

दिनांक.....

प्रार्थी के हस्ताक्षर.....

मूल्यांकन प्रपत्र
हिमाचल प्रदेश निर्वाचन विभाग
ब्लॉक नम्बर-38, एस0डी0ए0 कॉम्प्लैक्स, कसुम्पटी, शिमला-171009

चपड़ासी/चौकीदार (वर्ग-IV) के पद के लिए 100 अंकों के लिए मूल्यांकन का मापदंड
(उम्मीदवार द्वारा भरे जाने के लिए)

| क्र०सं० | 100 अंकों के मापदंडों का विवरण | अंक | उम्मीदवार द्वारा दावा किये गये अंक |
|---------|--|-----|------------------------------------|
| 1 | क्वालीफाईंग परीक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिशतता की गणना 85 से की जाएगी। (उदाहरण के लिए मैट्रिक में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को 42.5 अंक दिए जाएंगे) | 85 | |
| 2 | यदि अधिसूचित पिछड़ा क्षेत्र या पंचायत से सम्बन्धित हो। | 1 | |
| 3 | भूमिहीन परिवार/परिवार के पास 1 हैक्टेयर से कम भूमि जोकि सम्बन्धित राजस्व प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। | 2 | |
| 4 | गैर-रोजगार प्रमाण पत्र इस आशय के साथ कि परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी/अर्ध सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं है। | 2.5 | |
| 5 | 40 प्रतिशत से अधिक स्थाई/विशेष रूप से सक्षम/दिव्यांग। | 1 | |
| 6 | एन0एस0एस0 (कम से कम एक वर्ष) एन0सी0सी0/भारत स्काउट और गाइड में प्रमाण पत्र धारक। राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में पदक विजेता। | 1 | |
| 7 | बी0पी0एल0 परिवार के पास पारिवारिक वार्षिक आय (सभी स्रोतों से) 40000 से कम या सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित अनुसार। | 2.5 | |
| 8 | विधवा/तलाकशुदा/निराश्रित/एकल महिला। | 1.5 | |
| 9 | एकल बेटा/अनाथ। | 1 | |
| 10 | सरकारी/अर्धसरकारी संस्थान में पद से सम्बन्धित अधिकतम 5 वर्षों का अनुभव। (0.5 अंक प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए) | 2.5 | |

नोट:- जहाँ भी अंकों का दावा किया गया हो, उम्मीदवार को अंक पत्र/प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति/स्वयं सत्यापित प्रति संलग्न करनी होगी और बुलाये जाने पर मूल प्रमाण पत्र विभाग को दिखाना होगा।

अनुलग्नक:-

- | | |
|--------|--------|
| 1..... | 2..... |
| 3..... | 4..... |
| 5..... | 6..... |

उम्मीदवार के हस्ताक्षर
नाम.....
पता.....